# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :–सदीप कुमार (आर. ए. एस.)

वाद सं.– 189/2016

महेन्द्र पुत्र गंगाजल जाति जाट साकिन हनुमानगढ़ टाउन हाल वार्ड न. 18, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. मेलाराम पुत्र माणकराम जाति अग्रवाल निवासी सूरतगढ़ (मृतक) :–
2. हजारीराम पुत्र श्री दानाराम जाति जाट साकिन 74 एल एन पी तहसील पदमपुर जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
3. महेन्द्रसिह
4. छिन्द्रसिह
5. बलविन्द्रसिह

(3 से 5) पुत्रगण बलवंन्तसिह जाति राठौड सिख निवासी सब्जीमण्डी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

6. जनक कुमार पुत्र श्री जगननाथ जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न. 24, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
7. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
8. गिरदावरी देवी पत्नी रामस्वरूप बिश्नोई निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
9. गगांजल मील पुत्र दानाराम जाति जाट साकिन चक 5 एन आर डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 आरटीए 1955

उपस्थित :–
1. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता – वादी
2 श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – प्रतिवादी न. 2 व 9
3 श्री राकेश कुमार मनचन्दा अधिवक्ता – प्रतिवादी न. 3 ता 5
4 श्री अशोक कुमार छाबड़ा अधिवक्ता – प्रतिवादी न. 8
5 राजस्थान सरकार पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़।

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 31-01-2024

पत्रावली वास्ते निणर्य पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दावा में प्रस्तुत राजीनामा के तथ्यो के आधार पर निवेदन किया कि जैरप्रकरण रोही कस्बा सूरतगढ की चालू जमाबन्दी संवत 2068 ता 2071 के खाता न. 3/8 के खसरा न. 322/3 में 0.202 हैक बारानी, खसरा न. 322/4 में 1.075 हैक बारानी व खसरा न. 322/3 में 0.047 हैक. बारानी व खसरा न. 573/322 में 0.063 हैक. बारानी व खसरा न. 575/322 में 3.036 हैक. बारानी इस प्रकार कुल 4.423 हैक. बारानी भुमि वादी एंव प्रतिवादीगएणर न. 2 ता 5 तथा 8 व 9 के नाम हिस्सेनुसार सयुक्त खाता में खातेदारी

क्रमश पेज 2 .............. पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

है। वादीगण प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा हो गया तथा दोनो पक्षो का राजीनामा इस न्यायालय द्वारा दिनाक 31.01.2022 से तस्दीक हो चुका है। दोनो पक्षकार राजीनामानुसार ही काबिज है व राजीनामा में प्रस्तुत नक्शानुसार ही खाता विभाजन चाहते है। चुकिः इस प्रकरण में अभी तहसीलदार सूरतगढ़ से न्यायालय से मांगी गई मौका रिपोर्ट प्राप्त नही हुई तथा मौका रिपोर्ट की बजाय प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर प्रकरण में अन्तिम निर्णय किया जावे। विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी भी सहमत है तथा इस खाता में हिस्सेदारो के नाम से 0.046 हैक. रकबा ज्यादा दर्ज है। इसलिये राजीनामानुसार हिस्सेदारो के 0.046 हैक. रकबा कम किया जावे।

प्रतिवादीगण ने बहस में निवेदन किया कि इस प्रकरण में वर्णित रकबा में प्रतिवादी न. 8 गिरदावरी का राष्ट्रीय राजमार्ग की दक्षिणी पासा में रकबा है। राजमार्ग के उतरी पासा में वादी एंव प्रतिवादी न. 2 ता 5 व प्रतिवादी न. 9 का कब्जा है तथा उतरी पासा के खातेदारो का रकबा पूरा है इसलिये राजीनामा तस्दीक दिनाक 31.01.2022 के साथ संलग्न नक्शा अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर खाता विभाजन किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। जेरप्रकरण रोही कस्बा सूरतगढ की चालू जमाबन्दी संवत 2068 ता 2071 के खाता न. 3/8 के खसरा न. 322/3 में 0.202 हैक बारानी, खसरा न. 322/4 में 1.075 हैक बारानी व खसरा न. 322/3 में 0.047 हैक. बारानी व खसरा न. 573/322 में 0.063 हैक. बारानी व खसरा न. 575/322 में 3.036 हैक. बारानी इस प्रकार कुल 4.423 हैक. बारानी रकबा खातेदारी दर्ज तथा इस खाते के खातेदारो के नाम कुल 4.469 हैक. बनता है। इस प्रकार 0.046 हैक. नक्शा अनुपातिक रूप से कम किये जाने में उभयपक्ष सहमत है। इसलिये वाद वादी राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर सभी सहहिस्सेदारो से मुताबिक राजीनामा 0.046 हैक. हिस्सा कम किया जाकर उभयपक्ष का राजीनामा के अनुसार कब्जा काश्त को ध्यान में रखकर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सूरतगढ़ से मंगवाया जाना उचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार कर रोही कस्बा सूरतगढ़ की जमाबन्दी संवत 2068 ता 71 के खाता न. 3/8 के खसरा न. 322/3 में 0.202 हैक व खसरा न. 322/4 में 1.075 हैक व खसरा न. 322/3 में 0.047 हैक व खसरा न. 573/322 में 0.063 हैक व खसरा न. 575/322 में 3.036 हैक. बारानी कुल 4.423 हैक. बारानी रकबा में वादी महेन्द्र पुत्र गगांजल जाति जाट के नाम 0.506 हैक. व प्रतिवादी हजारीराम पुत्र दानाराम के नाम 0.696 हैक. व प्रतिवादी न. 3 ता 5 के महेन्द्रसिह- छिन्द्रसिह -बलवन्द्रिसिह पिसरान बलवन्तसिह के नाम 0.750 हैक. व प्रतिवादी न. 8 गिरदावरी के नाम 2.235 हैक. व प्रतिवादी न. 9 गगांजल के नाम 0.236 हैक. खातेदारी रकबा हिस्सा में दर्ज कर राजीनामा दिनांक 31.01.2022 अनुसार मौका पर कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ को पत्र जारी हो। पत्रावली विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पुनः पेशी में ली जावे, तब तक नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(ओ0 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: प्राथमिक डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर

(बइजलास :– सन्दीप कुमार, आर ए एस)

महेन्द्र पुत्र गंगाजल जाति जाट साकिन हनुमानगढ़ टाउन हाल वार्ड न. 18, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. मेलाराम पुत्र माणकराम जाति अग्रवाल निवासी सूरतगढ़ (मृतक) :–
2. हजारीराम पुत्र श्री दानाराम जाति जाट साकिन 74 एल एन पी तहसील पदमपुर जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
3. महेन्द्रसिह
4. छिन्द्रसिह
5. बलविन्द्रसिह

} पुत्रगण बलवंन्तसिह जाति राठौड सिख निवासी सब्जीमण्डी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

6. जनक कुमार पुत्र श्री जगननाथ जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न. 24, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
7. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
8. गिरदावरी देवी पत्नी रामस्वरूप बिश्नोई निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
9. गगांजल मील पुत्र दानाराम जाति जाट साकिन चक 5 एन आर डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए 1955 मुकदमा न. 189 वर्ष 2016 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी सुभाष बिश्नोई व शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – प्रतिवादी न. 2 व 9 व राकेश कुमार मनचन्दा अधिवक्ता – प्रतिवादी न. 3 ता 5 व अशोक कुमार छाबड़ा अधिवक्ता – प्रतिवादी न. 8 व पैरोकारराज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार कर रोही कस्बा सूरतगढ़ की जमाबन्दी संवत 2068 ता 71 के खाता न. 3/8 के खसरा न. 322/3 में 0.202 हैक व खसरा न. 322/4 में 1.075 हैक व खसरा न. 322/3 में 0.047 हैक व खसरा न. 573/322 में 0.063 हैक व खसरा न. 575/322 में 3.036 हैक. बारानी कुल 4.423 हैक. बारानी रकबा में ~~...~~ वादी महेन्द्र पुत्र गगांजल जाति जाट के नाम 0.506 हैक. व प्रतिवादी हजारीराम पुत्र दानाराम के नाम 0.696 हैक. व प्रतिवादी न. 3 ता 5 के महेन्द्रसिह– छिन्द्रसिह –बलवन्द्रिसिह पिसरान बलवन्तसिह के नाम 0.750 हैक. व प्रतिवादी न. 8 गिरदावरी के नाम 2.235 हैक. व प्रतिवादी न. 9 गगांजल के नाम 0.236 हैक. खातेदारी रकबा हिस्सा में दर्ज कर राजीनामा दिनांक 31.01.2022 अनुसार मौका पर कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता है।

नोज .......X.......... मुबलिग ........ X ........ बाबत ........ X ......... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह .......... X ............ फस्दो की पालना ........ X ............. आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक .....31.01.2024.................को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)